

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।

फौजदारी वाद संख्या—552 / 19

सरकार

बनाम

जितेन्द्र सिंह

15—3—2023

पत्रावली पेश हुई, पुकार पर उपस्थित कोई नहीं।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह पुत्र वासुदेव की मृत्यु आख्या थाने से प्राप्त हुई। मृत्यु आख्या के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु आख्या थाने से प्रमाणित होकर शामिल पत्रावली है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण—पत्र संलग्न है। अतः अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण वाद की कार्यवाही उसके विरुद्ध उपशमित की जाती है। अन्य कोई अभियुक्त इस मामले में नामित शेष नहीं है अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

सी0जे0एम0
खीरी।